

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विद्याधर नायक, 2 वर्तमान धारित पद वरिष्ठ श्रेणी शोधलेखक
 3. वर्तमान वेतन 14750 + 3600 पगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27-28, साई खागा 1001, राऊ (4-3) इ-गा (4-3)	आवासीय प्लॉट 650 Sq Ft.	-	12 लाख	स्वयं के नाम के खरीदने पर राऊ के नाम पर संयुक्त रूप से	रूप में 30/3/2008	बैंक	कार्ट. नं. 405 24/1/13 राऊ बैंक 27/3/2008
वा. नं. 8, ह. नं. राऊ 2405 391, राऊ राऊ प्लॉट 2-गा	आवासीय प्लॉट 230 Sq Ft.	-	5 लाख	स्वयं के नाम पर खरीदने पर राऊ के पत्नी पर	पैसा में विरासत के जए	बैंक	कार्ट. नं. 405 24/1/13 राऊ प्लॉट

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वयंमत्त्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर वि. नायक
 नाम विद्याधर नायक
 पद वरिष्ठ श्रेणी शोधलेखक
बैंक 12/01/17